राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
114/2017/वाद पत्र	31.07.2017	10.05.2018

उनवान

1– सत्यनारायण पिता मोहनदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
2– जस्सू पिता मोहनदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
– वादीगण

बनाम

1–5 रामकिशन, मु0 विनोद, मीरा, रामघणी, माया पिता कालूदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
6– भागूती पत्नि कालूदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
7– मैनेजर, सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा
8– तहसीलदार, फूलियाकलां
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम बागथला प0ह0 ईटड़िया तह0 फूलियाकलां मे आ0न0 199, 200, 201 रकबा क्रमशः 0.02 है0, 0.01 है0, 1.23 है0 कुल किता 3 रकबा 1.26 है0 भूमि स्थित है। जिसमे वादीगण का 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को लागत लगाकर अधिक उपजाउ करना चाहते है किन्तु भूमि संयुक्त एवं अविभक्त होने से ऐसा करना संभव नही है। प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से बंटवाड़ा कराने हेतु कहा गया तो साफ इन्कार कर दिया जिससे वाद पेश करने की आवश्यकता हुई अतः वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे की वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित वादीगण के 2/3 हक हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.11.2017 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र

सुना गया। सुनवाई के दौरान बताया कि वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर बंटवाड़ा स्कीम तैयार करवा आज ही प्रकरण निस्तारण कराना फरमावे। मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की बंटवाड़ा स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को निर्देशित किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रस्तुत किया गया मुताबिक बंटवाड़ा स्कीम तहसीलदार, फूलियाकलां वाके ग्राम बागथला की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 के खाता नं0 141 कुल किता 3 रकबा 1.26 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– वादीगण :– सत्यनारायण, मु0 जस्सू पिता मोहनदास बैरागी नि0 बागथला के नाम दर्ज किया जावे। मु0बि0क0 सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा शाहपुरा यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
201 मे से	0.82	चाही चतुर्थ	8.20
किता 1	0.82	–	8.20

2– प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 6 :– रामकिशन, मु0 विनोद, मीरा,रामघणी,माया पिता कालूदास, भागूती पत्नि कालूदास बैरागी नि0 बागथला के नाम दर्ज किया जावे। रहन सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा शाखा शाहपुरा यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
201 मे से	0.41	चाही चतुर्थ	4.10
किता 1	0.41	–	4.10

3– वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के हक हिस्से अनुसार शामलाती दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
199	0.02	गै0मु0 आ0चा0	–
200	0.01	गै0मु0 आ0चा0	–
किता 2	0.03	–	–

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकला को वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शे मे तरमीम के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

उनवान

1– सत्यनारायण पिता मोहनदास बैरागी निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां
2– जस्सू पिता मोहनदास बैरागी निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां

––– वादीगण

बनाम

1–5 रामकिशन,मु0विनोद,मीरा,रामघणी, माया पिता कालूदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
6– भागूती पत्नि कालूदास बैरागी नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
7– मैनेजर, सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा
8– तहसीलदार, फूलियाकलां

––– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टि0एक्ट
मुकदमा नम्बर 114 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदासलत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्त दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा स्कीम तहसीलदार, फूलियाकलां वाके ग्राम बागथला की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 खाता संख्या 141 कुल किता 03 रकबा 1.26 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– वादीगण – सत्यनारायण, मु0 जस्सू पिता मोहनदास बैरागी नि0 बागथलां के नाम दर्ज किया जावे ।मु0बि0क0 सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा शाहपुरा यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
201मे से	0.82	चाही चतुर्थ	8.20
किता 01	0.82	–	8.20

2– प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 6 – रामकिशन, मु0 विनोद, मीरा,रामघणी,माया पिता कालूदास, भागूती पत्नि कालूदास बैरागी नि0 बागथला के नाम किया जावे। रहन सहकारी भूमि विकास लि0 भीलवाड़ा शाखा शाहपुरा यथावत रहेगा।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
201 मे से	0.41	चाही चतुर्थ	4.10
किता 01	0.41	—	4.10

3— वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के हक हिस्से अनुसार शामलाती दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
199	0.02	गै0मु0 आ0चा0	—
200	0.01	गै0मु0 आ0चा0	—
किता 02	0.03	—	—

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकलां को वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शें मे तरमीम के आदेश दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार— 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया मे जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला—भीलवाड़ा